

धागों में उलझी ज़िंदगियाँ

(उद्योग विहार, गुडगाँव के कपड़ा उद्योग के मज़दूरों के बीच
हादसों और असंतोष की दास्तान)



पर्सपेरिट्व्स और

पीपल्स यूनियन फॉर डैमोक्रैटिक राइट्स (पी.यू.डी.आर.)

दिल्ली, अगस्त 2015

विषय सूची

1 घटना	4
दो एफ.आई.आर.	
एकमात्र हादसा नहीं	
2 एक ही दिन में	7
3 दिन भर की मेहनत के बाद	11
4 'मेड इन इण्डिया'	13
5 निष्कर्ष	14

बॉक्स

- श्रम कानूनों में लाये गए हालिया बदलावों के माध्यने 12
- ओरियेंट क्राफ्ट में एक और हादसा 15

तालिकाएं

- उद्योग विहार की कपड़ा फैक्ट्रियों में घटित चुनिंदा घटनाओं की सूची 4
- उद्योग विहार की कपड़ा फैक्ट्रियों में कुल मासिक वेतन (ओवरटाइम मिलाकर) 8
- एक सैंपलिंग टेलर का मूल वेतन और खरीदने की क्षमता (क्रय शक्ति) (2007–2015) 8
- हरियाणा में न्यूनतम मासिक वेतन और मजदूरी (जनवरी 2014 से मई 2015) (रूपये में) 16
- हरियाणा, दिल्ली और एन.सी.आर. में तुलनात्मक न्यूनतम मासिक वेतन और मजदूरी 16

चित्र और रेखाचित्र

- कपड़ा उद्योग की प्रक्रिया का बुनियादी ढांचा 7
वेतन, कीमतें और खरीदने की क्षमता 9
सैंपलिंग विभाग के एक टेलर की वेतन की स्लिप 10

12 फरवरी 2015 को उद्योग विहार, गुडगाँव में कपड़ा फैक्ट्रियों के सैंकड़ों मज़दूर सड़कों पर उतर आए और कुछ फैक्ट्रियों की बिल्डिंगों पर पत्थर फेंकने लगे। उन्होंने अफवाह सुनी थी कि उनके एक साथी मज़दूर सभी चंद की मौत हो गई है। बाद में पता चला कि सभी चंद की मौत नहीं हुई थी, लेकिन दो दिन पहले उनके साथ बुरी तरह मार-पीट जरूर हुई थी। वे गौरव इंटरनेशनल (प्लॉट संख्या 236, उद्योग विहार, फेज़ 1) में काम करते थे और 10 फरवरी को काम पर देरी से पहुँचने पर कम्पनी के अफसरों और कर्मचारियों ने मिलकर उन्हें पीटा था।

हालांकि 12 फरवरी को सब कुछ अचानक हुआ, परंतु इस इलाके में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। यहाँ मज़दूर कई बार गुस्से में सड़कों पर उतरे हैं। कभी इस वजह से कि उनके किसी साथी मज़दूर पर कम्पनी के स्टाफ ने हमला किया या फिर काम के दौरान कम्पनी की लापरवाही के कारण कोई हादसा हो गया था। बार-बार हो रही इन घटनाओं को देखते हुए, पी.यू.डी.आर. और पर्सपेरिट्स ने 10 से 12 फरवरी के बीच हुई घटनाओं की जाँच करने का निर्णय किया। टीम सभी चंद, उनकी पत्नी और भाई से मिली। साथ ही टीम सूबे सिंह (एस.एच.ओ., उद्योग विहार थाना), अमरदीप डागर (जनरल मैनेजर – ह्यूमन रिसोर्स्स और एडमिनिस्ट्रेशन, रिचा एंड कंपनी), गिरफ्तार हुए मज़दूरों में से एक के वकील, और कापसहेड़ा में रह रहे कुछ मज़दूरों से भी मिली।

जाँच के दौरान, टीम को उद्योग विहार के कपड़ा उद्योग में काम कर रहे मज़दूरों की ज़िंदगियों के बारे में जानने का मौका मिला। टीम ने उनके काम और रहने के हालातों के बारे में जानकारी हासिल की और यह जानने की कोशिश की कि इस इलाके में बार-बार हो रहे हमलों और दुर्घटनाओं का इन परिस्थितियों से कोई नाता है या नहीं। प्रयास यह जानने का भी था कि बृहद अंतर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में कपड़ा उद्योग आज किस तरह काम कर रहा है और इसके मज़दूरों के लिए क्या परिणाम हैं।

1 घटना

मंगलवार, 10 फरवरी 2015 को गुडगाँव स्थित उद्योग विहार की एक कपड़ा फैक्ट्री में एक मज़दूर की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। पिटाई की वजह यह थी कि वह काम पर 15 मिनट देरी से पहुँचा था। कर्मचारी विभाग के मैनेजर ने फैक्ट्री के गाड़ी के साथ मिलकर उस मज़दूर को इस बुरी तरह से पीटा कि उसकी पसलियाँ टूट गईं।

32-वर्षीय समी चंद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के रहने वाले हैं। वे प्लॉट नंबर 236, उद्योग विहार, फेज़ 1 में स्थित, गौरव इंटरनेशनल नामक कंपनी में बौतौर 'क्वालिटी चेकिंग स्टाफ' काम करते हैं। घटना के दिन जब उन्होंने फैक्ट्री में घुसने के लिए गेट पर अपना बायोमेट्रिक कार्ड पंच करने की कोशिश की तो गाड़ी ने उन्हें जबरन रोक दिया। इस बात पर जब तू-तू मैं-मैं होने लगी तो एक गार्ड ने मैनेजरेंट को फोन कर दिया। इसके बाद कर्मचारी विभाग के मैनेजर आर.एस. यादव और कम्पनी के गार्ड अनिल और धर्मवीर व अन्य स्टाफ के सदस्यों ने समी चंद को गेट के पास बने सिक्यूरिटी केबिन में ले जाकर बुरी तरह पीटा।

पिटाई के बाद समी चंद को उनके कमरे पर ले जाकर छोड़ दिया गया। उनकी पत्नी को भी खबर दी गई। समी चंद की पत्नी भी उसी फैक्ट्री में धागा काटने का काम करती है। दोनों इलाज के लिए उस शाम और फिर अगली सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल गए। इसके बाद समी चंद को गुडगाँव स्थित ई.एस.आई. अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा।

गुरुवार, 12 फरवरी 2015 को इलाके में समी चंद की मौत की अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई। गौरव इंटरनेशनल, उसकी सहयोगी कंपनी रिचा एंड कंपनी और अन्य कपड़ा फैक्ट्रियों के मज़दूर सङ्कों पर उत्तर आये। सभी ने मिलकर फैक्ट्रियों पर पथरबाजी शुरू कर दी और कुछ गाड़ियों में आग लगा दी। इसके बाद स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया।

घटना की खबर मिलते ही पीपल्स यूनियन फॉर डैमोक्रैटिक राइट्स (पी.यू.डी.आर.) और पर्सपेरिट्स की

एक टीम तुरंत छानबीन के लिए निकल पड़ी। जब टीम ने पिटाई के कारण मारे गए मज़दूर के बारे में जाँच शुरू की तो कई किस्म के तथ्य उसके सामने आने लगे। हम जितने लोगों से मिले, उनमें से अधिकतर ने हमें यही बताया कि सभी चंद की पिटाई से मौत हो गई है। इस बात का खुलासा बाद में हुआ कि हालांकि सभी चंद पिटाई के कारण बुरी तरह घायल ज़रूर हुए थे और उनकी पसलियाँ भी टूटीं थीं, लेकिन वे बच गये थे। हम जब सभी चंद से उनके घर मिलने गए तो उन्होंने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। उनके एक भाई, जो उन्हीं के साथ रहते हैं, भी बुरी तरह से डरे हुए थे। उन्होंने हमें बताया कि कम्पनी उन्हें इलाज के लिए पैसा दे रही है पर उन्हें मुआवजे की कोई उम्मीद नहीं है। जिस मकान में वे रहते थे, उसकी मालकिन ने भी हमसे ठीक से बात नहीं की और मज़दूरों के बारे में बुरी-भली बातें करती रहीं।

हमारी टीम ने रिचा एंड कम्पनी के कर्मचारी विभाग और प्रशासन के जनरल मैनेजर डागर से भी मुलाकात की। डागर को यकीन था कि सभी चंद की मौत की अफवाह कुछ शरारती तत्वों ने फैलाई थी। उनका मानना था कि 12 फरवरी को हुई तोड़फोड़ के पीछे कुछ बाहरी नकाबपोश लोगों का हाथ था और उन्होंने ही मज़दूरों को भी उकसाया था। डागर ने माना कि सभी चंद और फैक्ट्री के गाड़ी के बीच 10 फरवरी की सुबह बहस हुई थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सभी चंद की पिटाई भी हुई थी। हालांकि डागर का यह भी कहना था कि सभी चंद भी बहुत आक्रामक तेवर दिखा रहा था, जिसकी वजह से बात इस हद तक पहुँच गयी थी। उनके अनुसार कर्मचारी विभाग के मैनेजर ने सभी चंद को अस्पताल ले जाना चाहा पर सभी घर जाने की जिद पर अड़ा रहा। डागर ने बताया कि इस घटना से जुड़े सभी गार्ड और अन्य कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। सभी चंद और उनकी पत्नी की नौकरी अभी भी सुरक्षित है। वे दोनों छुट्टी लेकर गाँव चले गए हैं।

दो एफ.आई.आर.

उद्योग विहार थाने के एस.एच.ओ. सूबे सिंह ने टीम को हादसे के बारे में जानकारी दी। उनके अनुसार इस हादसे की दो एफ.आई.आर. दर्ज हुई थीं। एक सभी

चंद द्वारा (एफ.आई.आर. संख्या 36/2015, दिनांक 12 फरवरी 2015) और दूसरी पीयूष सेनन, जनरल मैनेजर ऑपरेशन्स, गौरव इंटरनेशनल द्वारा (एफ.आई.आर. संख्या 37/2015, दिनांक 12 फरवरी 2015)।

सभी चंद द्वारा दर्ज की गई एफ.आई.आर. में कर्मचारी विभाग के मैनेजर आर.एस. यादव, गार्ड अनिल और धर्मबीर को नामज़द किया गया था। इस मामले में जाँच पूरी हो चुकी है और आरोप-पत्र दाखिल किये जा चुके हैं। अभियुक्तों पर आई.पी.सी. की 341, 342, 323, 506, 147, 149 धाराएं लगाई गई हैं। ये सभी आरोप ज़मानती हैं। एफ.आई.आर. दर्ज होने के एक हफ्ते के भीतर नौ लोगों को कम्पनी से गिरफ्तार कर लिया गया था। वे सभी इस वक्त ज़मानत पर बाहर हैं।

कम्पनी द्वारा दर्ज की गई एफ.आई.आर. में सभी चंद, उनके भाई और पत्नी को अफवाह फैलाने के जुर्म में नामज़द किया गया था। इस एफ.आई.आर. के मुताबिक् हादसे के लिए बाहरी तत्वों को ज़िम्मेवार ठहराया गया था। करीब 150–200 अज्ञात लोगों को भी इसमें आरोपित किया गया है। इनके खिलाफ लगी धाराओं में ज़मानती और गैरज़मानती धाराएं शामिल हैं। जैसे आई.पी.सी. की धाराएं 147, 148, 149, 323, 506, 109, 436, 435, 427, 451, 452, 120, इत्यादि। इस मामले में सी.सी.टी.पी. की फुटेज के आधार पर चार मज़दूरों को गिरफ्तार किया गया है। एक मज़दूर के वकील के मुताबिक् ये चारों अभी भी जेल में बंद हैं। इनमें से दो की जमानत की अर्जियाँ खारिज़ हो चुकी हैं। इस रिपोर्ट के लिये जाने के वक्त इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल हो चुका था, जिसमें इन्हीं चारों को आरोपित बनाया गया है।

एस.एच.ओ. का दावा था कि मामले की निष्पक्ष जाँच की गयी थी, परन्तु यह भी सच है कि जहाँ एक तरफ कम्पनी के नौ लोग ज़मानत पर बाहर हैं, वहीं दूसरी तरफ चार मज़दूर अभी भी जेल में हैं, जिनमें से दो की जमानत की अर्जियाँ खारिज़ हो चुकी हैं। एस.एच.ओ. के मुताबिक् 12 फरवरी की घटना के लिए कुछ उपद्रवी तत्व ज़िम्मेदार थे। कुछ ऐसा ही विचार डागर का भी था। यहाँ गैरतलब बात यह भी है की एस.एच.ओ. को तोड़-फोड़ से हुए कम्पनी के नुकसान के लिए तो बहुत दुख था, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि सभी चंद को, जो कि पहले ही

ज़्यादती झेल चुके थे, अपने भाई और पत्नी के साथ अफवाह फैलाने के लिए एफ.आई.आर.में नामज़द किया गया था।

एकमात्र हादसा नहीं

10 फरवरी को हुई मार-पीट इस इलाके में हुई कोई इकलौती घटना नहीं है। दिल्ली-गुडगाँव सीमा के इलाके में स्थित कपड़ा फैक्ट्रियों में इस तरह की घटनाएँ व हादसे पहले भी कई बार होते रहे हैं। इनमें से कइयों की तो खबर ही बाहर नहीं आ पाती। मज़दूरों और स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि मज़दूरों को कम्पनियों में अक्सर मैनेजमेंट द्वारा अपने बांउसर बने सुरक्षाकर्मियों की मदद से तरह तरह से परेशान किया जाता है, मारा-पीटा जाता है, तनख्वाहों में गड़बड़ियाँ की जाती हैं, उनके साथ बदतमीजी से पेश आया जाता है, इत्यादि। सुपरवाइज़र, मैनेजमेंट या ठेकेदार द्वारा मज़दूरों को कैंची या अन्य औजारों से मारना भी आम बात है। महिला मज़दूरों के साथ यौन-शोषण की घटनाओं की शिकायतें भी सुनने में आईं।

पी.यू.डी.आर. ने कुछ संगठनों के साथ मिलकर मार्च 2014 में ओरिएंट क्राफ्ट नामक फैक्ट्री में हुए एक हादसे की जाँच की थी। जाँच की रिपोर्ट के अनुसार, 28 मार्च को सुबह 11.30 से 11.45 के बीच, सुनील पुष्कर नामक एक मज़दूर, जो कि सिलाई विभाग में काम करते थे, अचानक अपनी सीट पर इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन के सामने बेहोश होकर लुढ़क गए। सुपरवाइज़र, लाइन इन-चार्ज और दो साथी मज़दूर उन्हें कम्पनी में स्थित डिसपेंसरी में ले गए, जहाँ उन्हें अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। जब तक कि उन्हें गुडगाँव के सरस्वती अस्पताल तक ले जाया गया, वे मर चुके थे। दो अन्य महिला मज़दूर, सुनीता और मंजू, इस हादसे को देखते ही फैक्ट्री के फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ीं। एक प्रत्यक्षदर्शी साथी मज़दूर के अनुसार, सुनील कम्पनी के गेट से बाहर निकलने से पहले ही मर चुके थे। अधिक जानकारी के लिए देखें – (<http://eesanhati.com?articles=9560>)

2011 में घटित ऐसे ही एक और मामले में रब्बान नाम के मज़दूर की मोडेलेमा एक्सपोर्ट्स में बिजली का झटका लगने से मौत हो गई थी। वे 15–16 जनवरी की रात को ओवरटाइम पर काम कर रहे थे। उस वक्त वह

21 घंटे की शिफ्ट पर थे। उन्होंने 17 घंटे का काम पूरा कर लिया था और पिछले ढाई घंटे से लगातार सिलाई कर रहे थे। स्टूल पर बिना किसी विश्राम के लगातार इतने घंटों बैठकर काम करने के कारण निढ़ाल हो जाने से, सुबह करीब तीन बजे वे बिजली के तार के संपर्क में आ गए और उससे लगे झटके से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उनकी लाश को तुरंत वहाँ से हटा दिया गया और फिर वह कभी नहीं मिली। इलाके के मजदूर संगठनों के अनुसार उनके शव को निजामुद्दीन कब्रिस्तान में दफ़ना दिया गया था। इसके बाद उनके

परिवार का कुछ पता नहीं चला। दो दिन तक विरोध-प्रदर्शन करने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ लोगों के अनुसार, रब्बान की पत्नी को पाँच लाख रुपये का चेक दिया गया था, लेकिन उस पर किसी के दर्शखत नहीं थे। ■

तालिका 1 : उद्योग विहार की कपड़ा फैक्ट्रियों में घटित चुनिंदा घटनाओं की सूची

दिनांक	घटना	कम्पनी	खोत
13 मई 2010	नाईट शिट में काम करते हुए दो मजदूर बेहोश होकर गिर गए।	सरगम एक्सपोर्ट, प्लॉट संख्या 153, उद्योग विहार, फेज 1, गुडगाँव	https://gurgaonworkersnews.wordpress.com/gurgaonworkersnews-no-930/
अगस्त 2010	हड्डाल, मैनेजमेंट और मजदूरों की बीच समझौता, लॉक-आउट, मजदूरों पर कम्पनी के गुड़ों द्वारा हमला, कुछ मजदूरों का अपरहण और कुछ गुमशुदा।	वीवा ग्लोबल	http://sanhati.com/-excerpted/2757/#sthash.4tYmlrWa.dpuf
17 जनवरी 2011	बिजली के झटके से रब्बान नाम के एक मजदूर की मौत (रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी)।	मोडेलेमा एक्सपोर्ट्स, प्लॉट संख्या 105–106, उद्योग विहार, फेज 1, गुडगाँव	https://gurgaonworkersnews.wordpress.com/gurgaonworkersnews-no-935/#fnref4
19 मार्च 2012	एक मजदूर पर उसके टेकेदार द्वारा कैंची से हमले की खबर सुनकर 2,000 से ज्यादा मजदूरों ने फैक्ट्री विलिंगों पर हमला किया, पत्थरबाजी की, और गाड़ियों में आग लगा दी।	ओरिएंट क्राफ्ट	http://kafila.org/2012/04/09/gurgaon-workers-damned-if-they-do-damned-if-they-dont-anumeha-yadav/
28 मार्च 2014	बिजली के झटके से सुनील नाम के एक मजदूर की मौत (रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी)।	ओरिएंट क्राफ्ट	http://sanhati.com/articles/9560/

2 एक ही दिन में

उद्योग विहार की कपड़ा फैक्ट्रियों में मज़दूरों के लिए हादसे, हमले, मैनेजमेंट द्वारा अत्यधिक काम लेना, गाली—गलौज, लड़ाइयाँ, घायल होने की घटनाएं, और यहाँ तक कि कभी—कभी मौतें आदि भी जैसे उस हर कपड़े पर कढ़ाई की तरह चर्स्पां हो गई हैं, जिन्हें वे सीते हैं और जो अन्तराष्ट्रीय बाजार में जाकर सैकड़ों डॉलर्स में बिकते हैं। मज़दूरों में जो गुरुसा दिखता है, वह दरअसल उनमें हर रोज़ पनप रहे गहरे असंतोष की झलक है। पी.यू.डी.आर. और पर्सपेरिट्व्स की टीम ने मज़दूरों के काम और ज़िंदगियों का जायज़ा लेने के लिए उनसे उनके घरों में जाकर मुलाकात की।

मोहम्मद अंसारी की उम्र लगभग 40 साल है। वे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के रहने वाले हैं। वे एक कपड़ा फैक्ट्री के सैम्प्लिंग विभाग में बतौर दर्जी काम करते हैं। वे कुशल कारीगर की श्रेणी में आते हैं। वर्ष 1990 में जब वे पहली बार दिल्ली आये तो उन्होंने गोविन्दपुरी में एक फैक्ट्री के बैठके यूनिट में काम करना शुरू किया। सात साल वहाँ काम करने के बाद वे मुंबई चले गए, जहाँ उन्होंने बतौर टेलर काम शुरू किया। ग्यारह साल पहले वे दिल्ली लौटे और तब से यहाँ काम कर रहे हैं। इ.पी.एफ., मेडिकल, इ.एस.आई. और आने—जाने का खर्चा भत्ता, आदि मिलाकर उनकी कुल तनख्वाह 8,800 रुपये है। आमतौर पर वे हर महीने ओवरटाइम मिलाकर कुल 10,000 रुपये कमा लेते हैं। ज़ाहिर है कि सात लोगों के परिवार को चलाने के लिए यह रकम नाकाफ़ी है। इसलिए उन्हें अपने गाँव से राशन मंगवाना पड़ता है। रविवार के दिन जब टीम उनसे मिलने उनके घर पहुँची, तो वे उसी समय पुरानी दिल्ली के सदर बाजार से लौटे थे। अपनी चार बेटियों और एक बेटे के लिए उन्होंने वहाँ से तीस—तीस, पैंतीस—पैंतीस रुपये मात्र के कपड़े खरीदे थे। उनका पूरा परिवार करीब 8 से 10 फीट के कमरे में रहता है, जिसमें न तो कोई खिड़की है और न अलग से रसोई के लिए जगह। कमरे की छत के नाम पर एस्बेस्टस की एक चादर भर है। इनका कमरा एक परिसर में स्थित है, जहाँ इसी प्रकार के 17 और कमरे हैं। यह परिसर कापसहेड़ा की तंग

गलियों के बीच स्थित है। ऐसी गलियाँ जिसके दोनों ओर खुली गन्दी नालियाँ बहती दिखती हैं। अंसारी यहाँ के उन चंद कुशल और अनुभवी कारीगरों में से एक हैं, जो उद्योग विहार में आने से पहले से ही दर्जी का काम जानते थे, और जिनकी यहाँ की फैक्ट्रियों में बहुत मांग है।

सईदा, जो लगभग पैंतीस साल की है, 2001 में विहार के छपरा ज़िले से अपने पति और बच्चों के साथ दिल्ली आई थीं। ये लोग पहले एक साल के लिए उत्तम नगर में रहे और फिर 2002 में कापसहेड़ा आ गए। उनके पति गाड़ियों के पेंटर हैं। आजकल सईदा घर से ही काम करती हैं। वे आस—पास के घरों के लिए कपड़े सिलकर पैसा कमाती हैं। उन्होंने पहले कुछ समय के लिए उद्योग विहार की कपड़ा फैक्ट्रियों में काम किया था। लेकिन फैक्ट्रियों में सुपरवाइज़रों के बुरे बर्ताव के कारण उन्होंने वह काम छोड़ दिया। एक बार एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र ने उन पर चिल्लाकर काम छोड़ने को कह दिया था। दूसरी फैक्ट्री में उन्हें काम के दौरान शौचालय जाने की इजाज़त भी नहीं थी। एक अन्य फैक्ट्री में उन्हें ठेकेदार 230 रुपये दिहाड़ी देता था, लेकिन अगर लक्ष्य पूरा न हो तो वह उन पर चिल्लाता था और मज़दूरी भी काट लेता था। आमतौर पर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक काम करना पड़ता था और ओवरटाइम भी नहीं दिया जाता था।

जोगेश्वर, जिनकी उम्र पैंतीस से चालीस के बीच होगी, विहार के गोपालगंज ज़िले के रहने वाले हैं। वे दिल्ली में लगभग पिछले 22 से 25 सालों से हैं। वे अलग—अलग कम्पनियों में बतौर दर्जी काम कर चुके हैं। आज की तारीख में वे एक फैक्ट्री के सैम्प्लिंग विभाग में बतौर दर्जी काम कर रहे हैं। वे एक 'फुल—पीस टेलर' हैं। यानी ऐसे कारीगर जो पूरी पोशाक अकेले बनाते हैं। जोगेश्वर को आमतौर पर दिन में दो पोशाकें बनानी होती हैं। कायदे से तो उनको सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करना होता है, लेकिन आमतौर पर हर रोज़ वे 2.5 से 4 घंटे तक ओवरटाइम करते हैं। ओवरटाइम समेत वे महीने में लगभग 9,500 से 10,000 रुपये तक कमा लेते हैं। ओवरटाइम केवल सिंगल रेट पर दिया जाता है, जबकि कानून में दोगुना रेट देने का प्रावधान (मज़दूरों की सुरक्षा को महेनज़र रखते हुए उनके नाम बदल दिए गए हैं।)

है। हर महीने उनकी तनख्वाह में से प्रोविडेंट फण्ड के लिए 175 रुपये काटे जाते हैं। उनके पास मेडिकल सेवाओं के लिए ई.एस.आई. कार्ड भी है। वे इस उद्योग में उन चंद मज़दूरों में से हैं, जिनकी छह्मी के पैसे नहीं कटते।

ये कहानियाँ यहाँ के कपड़ा फैक्ट्री मज़दूरों के असल जीवन का सिर्फ एक संकेत भर हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण जगह होने के बावजूद, कपड़ा उद्योग में काम कर रहे मज़दूर असुरक्षित, अस्थिर और अमानवीय जिंदगियाँ जीने पर मजबूर हैं। अनुमान है कि भारत में हर 7: घरों में से एक घर कपड़ा उद्योग पर किसी न किसी तरह से निर्भर है। कपड़ा उद्योग रोज़गार देने में बहुत आगे है (कुछ अनुमानों की मानें तो कृषि के बाद दूसरे नम्बर पर)। इस सेक्टर का सकल धरेलू उत्पाद और निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान है। हाल ही में सरकार की 'भेक इन इण्डिया' पहल की एक इकाई, इच्चेस्टर फैसिलिटेशन सेल, की भानें तो कपड़ा उद्योग कुल औद्योगिक उत्पादन में 14 प्रतिशत का योगदान करता है, देश के सकल धरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत का और देश के निर्यात से होने वाली आमदनी में 13 प्रतिशत का। इस सब के बावजूद, इस क्षेत्र के मज़दूरों के काम और रहने की परिस्थितियाँ बिलकुल नामाकूल हैं।

हरियाणा का औद्योगिक परिसर जो कि उद्योग विहार के नाम से जाना जाता है, कापसहेड़ा से दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पार करते ही शुरू हो जाता है। इस इलाके में ज्यादातर कपड़ा फैक्ट्रियाँ ही हैं। इसके अलावा यहाँ कंस्ट्रक्शन और गाड़ियों के पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्रियाँ भी हैं। उद्योग विहार की रथापना 1990 के दशक में निर्यात के लिए एक जगह पर कपड़ा बनाने के लिए हुई थी। उस समय दिल्ली से मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को टैक्स में भारी छूट देकर अनिवार्य रूप से हटने का आदेश दिया गया था। दिल्ली से इन इकाइयों को उद्योग विहार में पुनर्स्थापित किया गया था। आज फिर से इन्हें मानेसर या रेवाड़ी में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज यह इलाका देश के चंद फैक्ट्री आधारित कपड़ा उद्योगों में से एक है। यह इलाका और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ निर्यात के लिए कपड़ा बनाया जाता है। हर सुबह मज़दूरों का एक सैलाब कापसहेड़ा से उद्योग विहार की

ओर काम के लिए बढ़ता हुआ दिखता है। ज्यादातर मज़दूर कापसहेड़ा में ही रहते हैं। यहाँ की फैक्ट्रियों में काम कर रहे अधिकतर मज़दूर उत्तर प्रदेश या बिहार से हैं। इनमें कई मुसलमान हैं और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से जुलाहा समुदाय के हैं।

इस उद्योग में जुड़े ज्यादातर (95 से 99 प्रतिशत) मज़दूरों को ठेकेदारों के ज़रिये काम मिलता है, न कि सीधा कंपनियों से। यहाँ टाइम रेट यानी मासिक (और कभी-कभी दैनिक) और पीस रेट (जहाँ उन्हें प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा मिलता है) पर काम मिलता है। एक समय था जब बहुत सारे 'फुल पीस टेलर' हुआ करते थे। यानी कि पूरा कपड़ा वही तैयार करते थे, इसलिए यह जरूरी था कि वे कुशल कारीगर हों। लेकिन कम से कम 1990 के दशक से यह उद्योग 'चेन सिस्टम' या असेम्बली लाइन प्रणाली के अनुसार काम कर रहा है। इसमें बहुत सारे मज़दूर लाइन से बैठते हैं और बारी-बारी एक ही कपड़े के अलग-अलग हिस्से सीते हैं – जैसे कॉलर, बाजू, इत्यादि। चेन सिस्टम में पहले की तरह कुशल कारीगरों की जरूरत नहीं पड़ती। इसके कारण अब मज़दूरों से कम पैसे में काम करवाया जा सकता है।

एक आम कपड़ा फैक्ट्री में कई विभाग होते हैं। जैसे कि सैपलिंग डिपार्टमेंट (जो विश्व स्तर पर खरीद करने वाली कम्पनी की स्वीकृति के लिए सैपल बनाता है), क्वालिटी चैकिंग डिपार्टमेंट, कटिंग विभाग (जहाँ कपड़ा कटता है), प्रोडक्शन डिपार्टमेंट (जहाँ कपड़ों की थोक में सिलाई होती है), तथा फिनिशिंग डिपार्टमेंट (जहाँ धागे काटने, तह लगाने, इस्त्री और पैकिंग करने का काम होता है) (पृष्ठ 7 पर बना फ्लोचार्ट देखें)। हर विभाग में मज़दूरों के कई स्तर हैं। प्रबंधकों, विक्रेताओं और डिजाइनरों को छोड़ कर, बाकी सब मज़दूरों में से सबसे अधिक तनख्वाह या तो सुपरवाइज़र को मिलती है या फिर मास्टर टेलर को।

सुपरवाइज़रों को प्रति माह 15 से 25 हज़ार रुपये के बीच तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा अधिक उत्पादन के लिए इंसेटिव भी दिया जाता है। इसलिए, सुपरवाइज़र हर वक्त मज़दूरों को तेज़ी से काम करने के लिए मजबूर करते रहते हैं। उद्योग विहार क्षेत्र में सभी सुपरवाइज़र पुरुष हैं और वे महिला मज़दूरों पर धौंस जमाते रहते हैं। सुपरवाइज़र मज़दूरों में से छांट कर बनाए जाते हैं, लेकिन वह कब तक इस दर्जे को

फ्लोचार्ट

कपड़ा उद्योग की प्रक्रिया का बुनियादी
ढांचा

कपड़ों की बड़े ब्रैंड वाली
बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ

बाइंग हाऊस

विकासशील देशों में निर्माण
इकाइयाँ
(प्रमुख विभाग)

मर्चेंडाइजिंग

सैंपलिंग

कपड़ा

कटिंग

सिलाई और उत्पादन

धुलाई

क्वालिटी चैकिंग

फिनिशिंग और पैकिंग

बरकरार रख पाता है यह बहुत हद तक मालिक के साथ उसके रिश्ते पर निर्भर करता है। कुछ ऐसे उदाहरण भी टीम के सामने आये, जहाँ कुछ मज़दूरों पर सुपरवाइज़री का अतिरिक्त भार यह आश्वासन देकर डाल दिया गया कि भविष्य में तरक्की होगी, लेकिन उससे पहले ही उन्हें नौकरी से निकाल—बाहर कर दिया गया।

उद्योग विहार में कुल मज़दूरों में से 10 प्रतिशत बतौर 'सैम्पलर' काम करते हैं। ये लोग पहले सैंपल बनाते हैं जिसके आधार पर फिर थोक में कपड़े बनाए

जाते हैं। लेकिन ज्यादातर मज़दूर बतौर टेलर या हेल्पर काम करते हैं। आमतौर पर ज्यादातर लोग हेल्पर की तरह काम करना शुरू करते हैं और फिर तरक्की होने पर टेलर बन जाते हैं। पहले एक हेल्पर को काम पर प्रशिक्षण दे दिया जाता था पर अब यह चलन बंद हो गया है इसलिए आजकल ज्यादातर लोग इस इलाके में खुले अनगिनत प्रशिक्षण केन्द्रों में पहले एक या दो महीने का प्रशिक्षण लेते हैं।

सैम्पलिंग विभाग एक ऐसा विभाग है जिसको अनुभवी टेलरों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बनाए गए सैंपल, ब्राण्ड वाली बड़ी कंपनी को रखीकृति के लिए भेजे जाते हैं और इसी के आधार पर फिर आगे थोक में उत्पादन होता है। सैंपलिंग विभाग के टेलर या 'सैम्पलर' पूरी फैक्ट्री के टेलरों से बेहतर माने जाते हैं क्योंकि इन्हें मूल वेतन के अलावा अन्य भत्ते भी मिलते हैं। एक सैम्पलिंग टेलर का मूल वेतन प्रति माह 6,200 रुपये है (2015 में हुई आखिरी बढ़त के बाद)। सभी भत्ते, जैसे मकान का किराया, यात्रा, और महंगाई भत्ता जोड़कर मासिक वेतन लगभग 8,800 रुपये बन जाता है। ध्यान देना ज़रूरी है कि महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है (जैसा कि टेलर के वेतन की रसीद में देखा जा सकता है)। सैंपलिंग विभाग में उच्च दर्जे के टेलर भी होते हैं — जैसे मास्टर टेलर, कटिंग टेलर और पैटर्न टेलर, जिन्हें 20,000 से 36,000 रुपये के बीच में वेतन मिलता है। दूसरी तरफ प्रोडक्शन विभाग के टेलरों को प्रति माह केवल 6,500 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा कोई अन्य भत्ता नहीं मिलता (तालिका 2 देखें)। इस थोड़ी सी तनख्वाह में से भी किसी न किसी कारण से कटौती की जा सकती है। हमारी टीम को बताया गया कि काम पर पहुँचने में दस मिनट की देरी होने पर एक घंटे की तनख्वाह भी कट सकती है।

मज़दूरों के वेतन को अगर गौर से देखें तो हमें उनके काम और रहने की परिस्थितियों का अंदाजा हो जाएगा। मासिक वेतन दिन में 8 घंटे के काम के हिसाब से दिए जाते हैं। कायदे से यह समय 9 से 5 या 5.30 बजे तक होता है, जिसमें आधे घंटे का लंच-ब्रेक होता है। मैनेजमेंट के अनुसार मज़दूरों को दो 15-15 मिनट के चाय-ब्रेक भी दिए जाते हैं। लेकिन मज़दूरों का कहना है कि दूसरा चाय-ब्रेक, ओवरटाइम शिफ्ट शुरू होने से पहले दिया जाता है। रेखांचित्र (पृष्ठ 9) और

तालिका 2 : उद्योग विहार की कपड़ा फैक्ट्रियों में कुल मासिक वेतन (ओवरटाइम मिलाकर) (जानकारी एक मज़दूर के हवाले से)

विभाग	पद	मासिक आय (रुपए)
सैम्प्लिंग	हैल्पर	6500
	टेलर	9500–10500
	कटिंग मास्टर	15000
	पैटर्न मास्टर	35 – 46000
कटिंग	हैल्पर	6500
	कटिंग मास्टर	15000
	मास्टर टेलर (कटिंग मास्टरों में से एक)	15000
प्रोडक्शन	टेलर	250–270 प्रतिदिन
	सुपरवाइजर	15000
फिनिशिंग	हैल्पर	6500
	जनरल चेकर	7500–8000
	मेजरमेंट चेकर	7500–8000
	फाइनल चेकर	7500–8000
	सुपरवाइजर या फिनिशिंग इन्वार्ज	15000

तालिका 3 (पृष्ठ 8) को साथ रखकर देखें तो समझा जा सकता है कि मज़दूरों के वेतन में प्रति वर्ष हुई बढ़त, बाज़ार में बढ़ती कीमतों की तुलना में पर्याप्त नहीं है। इतना वेतन आम मध्यमवर्गीय जीवन के लिए काफ़ी नहीं है। हालांकि रुपयों के हिसाब से वेतन में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन असल में मौजूदा वेतन से मज़दूर के लिए अपने और अपने परिवार का पालन–पोषण ठीक से कर पाना संभव नहीं है। रेखांचित्र से साफ़ पता चलता है कि अगर मंहगाई या मुद्रास्फीति को मद्देनज़र रखकर देखा जाए तो असल में मूल वेतन में इतने सालों में गिरावट ही हुई है, यानी कि वेतन मंहगाई के अनुपात में नहीं बढ़ा है। एक सैम्प्लिंग टेलर को मकान के किराये और यात्रा के लिए जो भत्ता मिलता है, उससे कुछ मदद हो जाती है (हालांकि ये भत्ते भी पर्याप्त नहीं हैं), लेकिन ज्यादातर मज़दूर जो कि अन्य विभागों में काम करते हैं, उन्हें तो मूल वेतन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। सैम्प्लिंग टेलर की वेतन की रसीद को देखकर पता चलता है कि उन्हें तो मंहगाई भत्ता भी नहीं दिया जाता है (देखें पृष्ठ 10)। इसका मतलब सभी मज़दूर अपने वेतन से अब पहले की तुलना में कम खरीददारी कर पाते हैं। यही कारण है कि सभी मज़दूरों ने अपनी बचत में हुई गिरावट के बारे में बताया। कई मज़दूर अब पहले की मुकाबले में कम पैसा भेज पा रहे हैं।


इतनी कम तनख्याह पर ओवरटाइम करना तो इस उद्योग में आम बात हो गई है। हर रोज़ 3 से 4 घंटे

तालिका 3 : एक सैम्प्लिंग टेलर का मूल वेतन और छारीदार ने की कामता (क्रय शक्ति) (2007–2015)

वर्ष	मूल वेतन (मासिक) (रुपये)	अौद्योगिक मज़दूरों के लिए कीमतों का सूचकांक (2007=10. 0)	2007 की कीमतों के अनुसार मूल वेतन की छारीदार की कामता
2007	3900	100.00	3900
2008	3976	108.09	3678
2009	4304	119.85	3591
2010	4739	134.27	3529
2011	5031	146.18	3442
2012	5400 (लगभग)	159.77	3380
2013	5600 (लगभग)	177.22	3160
2014	6030	188.47	3199
2015	6200		

स्रोत – 1. एक सैम्प्लिंग टेलर की तनख्याह की रसीदें
2. लेबर ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स

वेतन, कीमतें और खरीदने की क्षमता



ओवरटाइम करने के बाद (रविवार को भी), मज़दूर महीने में 10 हजार रुपये कमा पाते हैं। कुछ मज़दूरों के अनुसार वे हर हफ्ते लगभग 100 घंटे ओवरटाइम करते हैं (कानून के अनुसार हर तीन महीने में सिर्फ 50 घंटे तक ओवरटाइम की अनुमति है)। उत्पादन के चरम समय पर रात को 2 बजे तक काम करना आम बात है। मज़दूरों को अपनी कमाई में इजाफा करने के लिए खुद भी ओवरटाइम करने की ज़रूरत महसूस होती है। कभी-कभी ऐसी परिस्थिति भी होती है कि अगर मालिक के कहने पर भी मज़दूर ओवरटाइम न करे तो उसे काम से हाथ धोना पड़ सकता है। कानून के अनुसार ओवरटाइम के लिए दोहरे रेट पर मज़दूरी मिलनी चाहिए, लेकिन इस इलाके में ऐसा बहुत कम फैक्ट्रियों में होता है। सिंगल रेट पर ओवरटाइम मज़दूरी देना अब यहाँ का कायदा बन चुका है।

कई मज़दूर मार्शिक वेतन के अलावा पीस रेट सिरटम पर भी काम करते हैं। इस सिरटम में मज़दूर को पीस के अनुसार तनखाह मिलती है न कि समय के अनुसार। एक पूरी कमीज़ के पीस रेट में हुई बढ़त से पता चलता है कि यह बढ़त कितनी कम है। पिछले 14

सालों में पीस रेट ज्यादा नहीं बढ़े हैं। सन 2000 में, 14 या 15 रुपये प्रति शर्ट से आज ये केवल 20 से 25 रुपये ही हुए हैं और कुछ जगहों पर 30 से 35 रुपये। आज पर-पीस का मतलब पूरी कमीज़ या कपड़ा नहीं, कमीज़ का एक हिस्सा माना जाता है – जैसे कॉलर, बाजू, इत्यादि। तनखाह भी कितने कॉलर या बाजू सिले, उसके अनुसार मिलती है। पीस रेट सिरटम मज़दूरों को बहुत लम्बे समय तक काम करने के लिए मज़बूर करता है, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा पीस बना कर दिन में ज्यादा कमा सकें। पीस रेट मज़दूरों में कुछ महिलाएं भी हैं जो घर से ही कई किलों के महीन काम करती हैं, जैसे बटन या सितारे लगाना।

पंजीकृत फैक्ट्रियों में काम करने के अलावा कई मज़दूर 'फैब्रिकेटर यूनिट्स' में भी काम करते हैं। ये इकाइयाँ सीधे विश्व स्तर की खरीददार कम्पनियों से संपर्क नहीं करती हैं। आमतौर पर इनको पंजीकृत फैक्ट्रियों से काम ठेके पर मिलता है। फैब्रिकेटर यूनिट्स, टैक्स बचाने के लिए ज्यादातर गैरकाकानूनी तौर पर काम करती हैं और बच्चों से भी काम करवाती हैं।

आमतौर पर देश के कपड़ा उद्योग में काम करने

वालों में महिलाओं का अनुपात ज्यादा होता है पर दिल्ली—एन.सी.आर. कपड़ा उद्योग इस मामले में एक अपवाद है। परन्तु अब महिला मज़दूरों की संख्या यहाँ भी बढ़ रही है। आमतौर पर महिलाएँ 'फिनिशिंग' विभाग में काम करती हैं, जहाँ वे धागे काटने, बटन लगाने, कपड़े तह करने या पैक करने का काम करती हैं। इस तरह का काम 'हल्का' माना जाता है। इसलिए इन्हें कम तनख्वाह मिलती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान तनख्वाह नहीं मिलती। परन्तु पुरुष—प्रधान समाज की इस सोच के चलते कि महिलाएँ हल्का काम ही कर सकती हैं या महिलाओं की तनख्वाह घर की कुल तनख्वाह का मुख्य भाग नहीं होता, महिलाओं को अक्सर कम तनख्वाह वाला काम दिया जाता है। लेकिन जिस काम को 'हल्का' कहा जाता है वह काफी कठिन और जटिल होता है और जिसे लगातार झुककर करना पड़ता है, जिसके कारण महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

केवल असल वेतन में गिरावट मज़दूरों में असंतुष्टि का कारण नहीं है। काम की तीव्रता भी लगातार बढ़ रही है। उत्पादन के टारगेट बेहद दुष्कर हो गए हैं। इसका पता इस बात से चलता है कि जब 2014 में ओरिएंट क्राफ्ट फैक्टरी में एक मज़दूर अपनी ही सीट पर

बेहोश हो गया, तब बाकी मज़दूरों को तुरंत इस बात का पता तक नहीं चल सका। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि काम में व्यस्त मज़दूरों के पास अपना सिर ऊपर उठाने तक का समय नहीं होता। एक टीम की संयुक्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार, "करीब 3-4 साल पहले, ओरिएंट क्राफ्ट ने हर एक टेलर के निरीक्षण के लिए स्टॉपवाच का प्रयोग शुरू किया था। इससे हर मज़दूर द्वारा एक पीस सिलने में लगे समय का हिसाब लग जाता था। इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए 1-2 साल पहले चुम्बकीय कार्ड रीडर को प्रयोग में लाया गया। अब कपड़े के हर बण्डल के साथ एक कार्ड रीडर आता है। हर टेलर को बण्डल पर काम शुरू करने से पहले और अंत में कार्ड रीडिंग मशीन पर कार्ड पंच करना पड़ता है। इससे यह पता चल जाता है कि मज़दूर ने हर काम कितने सेकंड में किया और प्रति दिन कितने पीस पूरे किये। इन मशीनों के लगाने के बाद से काम की तीव्रता और बढ़ गई है। एक बण्डल में आमतौर पर 10 से 15 कपड़े होते हैं और एक मज़दूर से उम्मीद की जाती है कि वह हर घंटे में 5 से 10 बण्डल पूरे कर दे।"

काम की गति बढ़ाने के लिए एक अन्य तरीका भी अपनाया जाता है। इसमें एक पीस रेट मज़दूर और टाइम रेट मज़दूर को एक ही असेम्बली लाइन में बिठा दिया जाता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि

सैंपलिंग विभाग के एक टेलर की वेतन की स्लिप

PAY SLIP / वेतन स्लिप
FOR THE MONTH OF / वेतन समय माह : APRIL, 2015

FORM NO. 1
(See Rule 21)

PAYCODE / पांकड़ :		FAT / HUSB. NAME पिता / पता का नाम :	LOCATION / DIVISION / :	DEED / WORKER
NAME / नाम :		PF No. / भविष्य निधि नं. :	CADRE / :	Bank A/c No. :
DESIG. / पद :		ESI No. / रोमांच राज्य बोर्ड नं. :	Bank Name :	
ATTENDANCE / दिन	SALARY RATE / दर	EARNINGS / ARREAP उपायमें वरकाय	TOTAL योग	DEDUCTIONS / कटौतियाँ
PRESENT उपरित्यंत : 23.50	BASIC / मूल वेतन : 6203.00	6100.00 0.00	6100.00	E.P.F. / भविष्य निधि : 732.00
W.OFF/प्र. अवकाश : 4.00	DA / : 0.00	0.00 0.00	0.00	V.P.F/ वैश्विक भविष्य निधि : 0.00
HOLIDAY / अवकाश : 1.00	HRA / राजनीति भत्ता : 997.00	980.00 0.00	980.00	E.S.I. / कर्मचारी राज्य बीमा : 165.00
LEAVE / छुटियाँ : 2.00	CONV शातायत मत्ता : 1600.00	1573.00 0.00	1573.00	L.W.F / कैल्याणकारी काउन्सिल : 10.00
ABSENT /अनुपरित्यंत : 0.50	CCA : 0.00	0.00 0.00	0.00	ADVANCE / आगिन : 0.00
Paydays / कुल दिन : 29.5	MEDICAL : 0.00	0.00 0.00	0.00	LOAN / लोन : 1000.00
	OTHERS :			BUS + MISC बस + मिसिस : 0.00
Ot Hrs अतिरिक्त कावय : 9.00	OT AMT / अतिरिक्त कावय : 761.00		761.00	T.D.S. / टी.डी.यस. : 0.00
OT Rate : 84.61	TOTAL / कुल योग : 8800.00	9414.00 1.00	9414.00	PRO. TAX : 0.00
				TOTAL / कुल योग : 1907.00
				NET SALARY PAYABLE शुद्ध देश वेतन : ₹. 7507.00

(EMPLOYEE'S SIGNATURE)
(कर्मचारी के हस्ताक्षर)

(AUTHORISED SIGNATORY)

पीस रेट मज़दूर खुद ही दूसरे मज़दूरों पर जल्दी काम करने का दबाव डाले ताकि उसकी खुद की दैनिक आमदनी भी बढ़े। जाँच टीम को एक स्थानीय कार्यकर्ता ने बताया कि काम की गति आज तीन गुना बढ़ गई है।

मौजूदा तनख्वाह से बाज़ार में खरीददारी कर पाने की घटती क्षमता और काम की बढ़ती तीव्रता दोनों मिलकर मज़दूरों में हताशा और असंतुष्टि पैदा कर रही हैं। आज मज़दूरों की बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि कोई भी हादसा होने पर वे गुस्से में सड़कों पर उतर आते हैं। हादसे भी आए दिन होने लगे हैं, जैसा कि पहले दी गई सूची से पता चलता है (देखें तालिका 1)। कठिन काम के अलावा एक अन्य चीज़ जो हादसों को बढ़ावा दे रही है वह यह है की सुरक्षा प्रावधानों के होने के बावजूद उनका प्रयोग मुश्किल से ही किया जाता है। उदाहरण के लिए, नीडल गार्ड जैसे उपकरण उपलब्ध होने के बावजूद इनका प्रयोग करने से रोका जाता है, क्योंकि ये काम की गति को धीमा करते हैं और उत्पादन के टारगेट पूरे करने में वाधा डालते हैं। मज़दूर भी इन उपकरणों का प्रयोग करने से बचते हैं क्योंकि इनसे उनका काम धीमा हो जाता है। सुरक्षा प्रावधानों का प्रयोग केवल उस समय होता है जब अंतर्राष्ट्रीय खरीददार कम्पनियों से कोई निरीक्षण करने आता है। ■

किनारों पर 10x8 फुट माप के लगभग 18 कमरे हैं। इस इलाके में ये सबसे सर्ते कमरे हैं, जिनका मासिक किराया लगभग 1,650 रुपये है। इसके अलावा हर महीने बिजली के लिए करीब 300–400 रुपये का खर्च पड़ता है। हर कमरे के बाहर एक बिजली का मीटर लगा है। इन सभी कमरों पर एस्बेस्टस की चादर वाली छत लगी है, जिससे गर्मियों में बेहद घुटन पैदा होती है। आम तौर पर पाँच से सात लोगों का एक परिवार एक कमरे में रहता है। इसी कमरे में एक स्टोव, गैस सिलिंडर, बर्तन, राशन, पानी से भरी बालियाँ, कपड़े, एक छोटा पलंग या गदा, बच्चों के स्कूल के बस्ते, किताबें और एक सिलाई मशीन (जो वे नौकरी के अलावा, कपड़े सिलकर पैसा कमाने के लिए रखते हैं) भी रखी होती हैं। हर परिसर में तीन गुसलखाने और दो शौचालय हैं, जिन्हें सभी किराएदार बारी-बारी से इस्तेमाल करते हैं। गुसलखाने हर तीन से चार महीने में परिसर के मालिक द्वारा साफ करवाए जाते हैं। अगर मज़दूर परिसर के मालिक से गुसलखाना साफ करवाने की बात कहे, तो मालिक दूसरा कमरा ढूँढ़ने को कह देता है।

दूसरे प्रकार के रिहाईशी मकान तीन से चार मंजिला इमारतों में हैं। इन इमारतों के बीच में खुली जगह है और किनारों पर कमरे हैं। हर मंजिल पर 16 कमरे और इनमें रहने वालों के लिए दो-तीन गुसलखाने हैं। इन कमरों का किराया 3,000 से 4000 रुपये है। विजली का विल अलग से। हर मंजिल पर पानी पीने के लिए कतार में कुछ नल लगे हैं। इन कमरों का किराया इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इनकी छतों पर लेंटर पड़े हैं।

मालिक या तो खुद किराया लेने आते हैं या उनके रखवाली करने वाले, जो कि आमतौर पर स्थानीय गुंडे होते हैं। मज़दूरों को कभी-कभी मालिक या रखवाले अपनी किराने की दुकानों से महंगा सामान खरीदने के लिए भी मजबूर करते हैं। इससे बच भी जाएँ तो भी मज़दूर को बाज़ार में ऊँची कीमतों पर सामान खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि उनके पास वोटर या राशन कार्ड नहीं हैं। कई बार मालिक इस पर भी पांच दी लगा देते हैं कि एक कमरे में कितने बच्चे रहेंगे। इसके कारण कई बार मज़दूरों को अपने बच्चों को गाँव में छोड़कर आना पड़ता है, जहाँ वे अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं।

कमरों से निकाले जाने का खतरा हमेशा उनके

3 दिन भर की मेहनत के बाद

अगर एक तरफ मज़दूरों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके रहने की परिस्थितियाँ भी काफी खराब हैं। फैकिट्रियों में दिन भर कमरोंडे मेहनत करने के बाद, वे अपने दमघोंटू अधेरे कमरों पर लौटते हैं, जहाँ वे अपने परिवारजनों या साथी मज़दूरों के साथ रहते हैं। इन सीलन भरी इमारतों तक का रास्ता तंग गलियों से होकर गुज़रता है। इन गलियों के चारों तरफ गन्दी नालियाँ और कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं।

कापसहेड़ा में मज़दूरों के रहने के लिए दो तरह की व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। एक में एक खुले परिसर में

बॉक्स 1 : श्रम कानूनों में लाये गए हालिया बदलावों के मायने

पिछले साल मई—जून के महीने में नई सरकार के आते ही देश के श्रम कानूनों में बदलाव लाने की प्रक्रिया तेज़ हो गयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बदलावों की वकालत यह कहकर की कि इनसे 'व्यापार करने में आसानी' होगी। केन्द्र सरकार द्वारा लोक सभा में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि, वह अभी पारित नहीं हो पाया है। मार्च 2015 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मज़दूरी से संबंधित सभी कानूनों को लेबर कोड ऑन वेजिस में सम्मिलित करने का प्रस्ताव रख दिया। दूसरी तरफ, राज्य सरकारों ने भी अपने—अपने मज़दूर संबंधी कानूनों में संशोधन करने शुरू कर दिए। इस पहल में राजस्थान सबसे आगे रहा। अक्टूबर 2014 में, राजस्थान सरकार ने तीन मुख्य कानूनों में संशोधन किये—इंडस्ट्रियल डिस्प्लॉट्स एक्ट 1947, कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड अबोलिशन) एक्ट 1970, और फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसके ठीक बाद, मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ संशाधनों के प्रस्ताव रखे, जिन्हें पारित किया जाना अभी बाकी है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने भी इसी प्रकार के बदलाव लाने की मंशा जाहिर कर दी है।

जैसा कि पहले बताया गया है कि केन्द्र सरकार ने लोक सभा में फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इस विधेयक को उद्योग विहार के कपड़ा फैक्ट्री मज़दूरों के संदर्भ में देखा जाए तो तीन बातें उभर कर सामने आती हैं—(1) प्रस्तावित बदलाव यहाँ की फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होते, या फिर (2) वे इस इलाके में हो रहे उल्लंघनों को संबोधित नहीं करते, या फिर (3) मौजूदा कानून और प्रस्तावित बदलाव दोनों ही यहाँ के मज़दूरों के असल और मुख्य मुद्दों को संबोधित नहीं करते। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रस्तावित बदलाव या तो यहाँ के मज़दूरों के सरोकारों से वास्ता नहीं रखते, या वे मौजूदा उल्लंघनों को कानूनी जामा पहना देते हैं।

पहली रिथ्ति का उदाहरण है 'फैक्ट्री' की परिभाषा में किया जा रहा बदलाव। मौजूदा कानून में किसी

इकाई को फैक्ट्री कहलाने के लिए उसमें 10 (बिजली के इस्तेमाल वाली इकाई) या 20 (बिना बिजली के इस्तेमाल वाली इकाई) मज़दूरों का होना अनिवार्य है। प्रस्तावित बदलावों के बाद उसमें क्रमशः 20 या 40 मज़दूरों का होना अनिवार्य हो जाएगा (अनुच्छेद 2(एम) का संशोधन)। उद्योग विहार की किसी भी कपड़ा फैक्ट्री में सामान्यतः एक हजार मज़दूर काम करते हैं। साफ़ है कि यह बदलाव यहाँ के मज़दूरों पर लागू नहीं होता।

जो बदलाव यहाँ के मज़दूरों पर लागू होते हैं, वे ओवरटाइम, सुरक्षा उपायों और कल्याणकारी सुविधाओं से सम्बंधित हैं। मौजूदा कानून के तहत ओवर टाइम के लिए सामान्य मज़दूरी से दुगना रेट देना अनिवार्य है। इस इलाके में इस कानून का उल्लंघन धड़ल्ले से हो रहा है। अधिकतर मज़दूरों ने बताया कि उन्हें केवल सिंगल रेट पर ओवरटाइम मिलता है। प्रस्तावित बदलाव इनकी स्थिति को और बुरा कर सकते हैं। बदलाव के अनुसार ओवरटाइम रेट की गणना में मकान और आने—जाने का किराया भत्ता नहीं जोड़ा जाएगा (अनुच्छेद 59 का संशोधन)। एक अन्य बदलाव ओवरटाइम की अवधि को लेकर किया जा रहा है। मौजूदा कानून के तहत एक हफ्ते में ओवरटाइम समेत कुल कार्य की अवधि 60 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। साथ ही तीन महीने में कुल ओवरटाइम 50 घंटों से ज्यादा नहीं हो सकता। इस उद्योग में एक दर्जी आमतौर पर हर रोज़ तीन से चार घंटे ओवरटाइम काम करता है। सीज़न के समय पर तो रात—रात भर भी काम चल सकता है। इसका मतलब यहाँ हर मज़दूर आमतौर पर हर हफ्ते में, ओवरटाइम मिलाकर, कम से कम 66 से 72 घंटे काम करता है। अब इस कानूनी उल्लंघन पर रोक लगाने की बजाय, प्रस्तावित बदलाव इन्हें वैध बनाने का प्रयास कर रहा है। बदलावों के तहत, हर तीन महीने में अब 50 की जगह 100 घंटे का ओवरटाइम वैध होगा (अनुच्छेद 64 का संशोधन)। कुछ खास परिस्थितियों में इसे 125 घंटे भी किया जा सकता है (अनुच्छेद 65 का संशोधन)। इसका सीधा मतलब यह

है कि अब वैध तरीके से मज़दूरों को ज्यादा घटों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

मज़दूरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं जिन्हें मौजूदा कानून और उनमें प्रस्तावित बदलाव दोनों ही सम्बोधित करते नज़र नहीं आते। उदाहरण के लिए, उद्योग विहार में मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी या कुछ को उससे थोड़ी ज्यादा मज़दूरी दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद बढ़ती कीमतों के सामने ये मज़दूरी बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। अगस्त 2014 में, हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने न्यूनतम मज़दूरी/मासिक वेतन को बढ़ाने का प्रस्ताव जारी तो किया था (जिसके तहत एक अकुशल मज़दूर को 7,400 रुपए मासिक वेतन दिए जाने का प्रावधान था), लेकिन उस पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। असल में, जनवरी 2014 से अब तक न्यूनतम मज़दूरी में जो बढ़त हुई है वह बहुत ही कम है (तालिका 4 देखें)। हरियाणा और दिल्ली की न्यूनतम मज़दूरी की दरों के बीच का फासला भी ध्यान देने योग्य है। गौरतलब है कि उद्योग विहार के मज़दूर, जो की दिल्ली—हरियाणा बॉर्डर पर रहते हैं और संभवतः दिल्ली के बाजारों में खरीददारी करते हैं, उन्हें दिल्ली के मुकाबले लगभग आधी दरों पर मज़दूरी मिलती है (तालिका 5 देखें)।

एक अन्य उदाहरण, सुरक्षा प्रावधानों को लेकर है। हालांकि, यहाँ कई फैक्ट्रियों में मज़दूरों के लिए नियमानुसार सुरक्षा प्रसाधन उपलब्ध तो हैं लेकिन वे अक्सर प्रयोग में ही नहीं आ पाते क्योंकि वे काम की गति को धीमा करते हैं। इसके अलावा, कानूनी तौर पर मज़दूरों को यूनियन बनाने का अधिकार है, लेकिन जैसा कि हमें रिचा एंड कंपनी के जनरल मैनेजर (प्रशासन और कर्मचारी विभाग) और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस इलाके में एक भी यूनियन नहीं है।

नतीजतन, मौजूदा कानून या तो मज़दूरों के लिए बेमानी हैं या उनका खुलेआम उल्लंघन किया जाता है। और प्रस्तावित बदलाव मज़दूरों की खराब स्थिति को केवल कानूनी जामा पहनाने का काम करेगे।

सिरों पर मंडराता रहता है। मालिक छोटी से छोटी बात पर भी मज़दूरों को कमरा छोड़ने को कह सकते हैं। जैसे शैचालयों की सफाई की मांग करना या फैक्ट्री में किसी मुसीबत में पड़ जाना, आदि। जब हमारी टीम सभी चंद से मिलने उनके भाई के कमरे पर गई थीं तो मालिकिन ने बहुत हो—हल्ला मचाया था। उसने यह तक कहा कि सभी चंद और उनका परिवार पूरे मामले में झूठ बोल रहे हैं।

जिस तरह के घरों में मज़दूर रहते हैं उनका गुडगाँव के आलीशान फार्म हाउसों से दूर दूर तक मुकाबला नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे उनकी ज़िदगियाँ उन लोगों की ज़िदगियों से कर्तई मेल नहीं खातीं जिनके लिए वे इतनी कमरतोड़ मेहनत करते हैं। विडम्बना यह है कि गुडगाँव के फार्महाउस और पेंटहाउस आदि से बहुत नज़दीक होने के बावजूद भी, इन मज़दूरों के घरों की दुर्दशा को आसानी से नज़रनदाज कर दिया जाता है। ■

4 'मेड इन इण्डिया'

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एन.सी.आर. कहलाने वाला इलाका, देश भर में हो रहे कपड़ा उत्पादन केन्द्रों में से एक है। भारत उन कई देशों में से एक है, जो तैयार कपड़े बनाकर अन्य देशों को सप्लाई करते हैं। यह एक तरह की वैश्विक असेम्बली लाइन है। इस पायदान पर सबसे ऊपर अमरीका और यूरोप में स्थित बड़े मल्टी—नेशनल ब्रांड वाली कम्पनियाँ हैं और सबसे नीचे भारत जैसे देशों में स्थापित कपड़ा उद्योग फैक्ट्रियाँ हैं। (देखें फ्लोचार्ट, पृष्ठ संख्या 7)। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जैसे बेनेटन, गैप, ज़ारा, ऐ. एंड एफ., वालमार्ट, आदि, विकासशील देशों में बन रहे कपड़ों की खरीददारी करते हैं। कभी—कभी ये ब्रांड 'बाइंग हाउस' कहलाने वाली कम्पनियों की मदद से इन देशों में खरीददारी करते हैं। सर्ते मज़दूर मुहैया कराने वाले देश — जैसे भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, आदि का एक दूसरे

के साथ कड़ा मुकाबला होता रहता है। हर देश कोशिश करता है कि वह कम से कम खर्च पर कपड़े बना सके ताकि वे सबसे ज्यादा ऑर्डर हथिया सके। इसी प्रतिस्पर्धा के चलते मज़दूरों की मज़दूरी इतनी कम हो जाती है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार चीन के मज़दूरों को प्रति घंटा केवल 1.66 अमरीकी डॉलर, पाकिस्तान में 56 सेंट, भारत में 51 सेंट, इंडोनेशिया में 44 सेंट, वियतनाम में 36 सेंट, और बांगलादेश में केवल 31 सेंट ही मिल पाता है (एक अमरीकी डॉलर में 100 सेंट होते हैं, जून 2015 में 1 डॉलर, भारत के करीब 64 रुपए के बराबर था) (स्रोत जैरेमि सीब्रुक, द सोंग ऑफ़ द शर्ट, 2014)। उद्योग विहार में एक मज़दूर संगठन के अनुसार, बाज़ार में 1500 रुपये में बिकने वाली एक कमीज़ का मज़दूरी लागत केवल 10 रुपये है। और भारत में कच्चा माल समेत पूरी कमीज़ बनाने का खर्च 100 या 150 रुपये से ज्यादा नहीं पड़ता है (अर्चना अग्रवाल, पीस बाय पीस, हिमाल साउथ एशियन, मार्च 2015)।

यह असेम्बली लाइन, ब्रांड वाली कम्पनियों को अपना कपड़ा बनाने का खर्च कम करने में मदद करती है, क्योंकि ब्रांड कम्पनियों उन्हीं कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों से कपड़े खरीदती हैं जो सबसे कम खर्च पर तैयार कपड़े सप्लाई करती हैं। इसके कारण विश्व के बड़े पूंजीवादियों को बहुत ज्यादा मुनाफ़ा होता है। साथ ही क्योंकि ये बड़े ब्रांड वाली कम्पनियों मज़दूरों को खुद नौकरी पर नहीं रखतीं इसलिए कानूनन इनकी मज़दूरों के प्रति कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी भी नहीं बनती। वे केवल समय—समय पर खानापूर्ति के लिए दौरा कर के ये सुनिश्चित कर जाती हैं कि फैक्ट्री मालिक निर्धारित कार्य प्रणालियों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इनमें से कई प्रणालियाँ तो केवल उस समय दिखावे के लिए चलाई जाती हैं, जब ऐसा कोई दौरा होने वाला होता है। इस प्रकार से उत्पादन करने में सबसे ज्यादा मुनाफ़ा बड़े ब्रांड वाली कम्पनियों को ही होता है और इसका सबसे ज्यादा भार गरीब देशों के मज़दूरों पर पड़ता है। विकासशील देशों में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ भी मुनाफ़े में ही रहती हैं, हालांकि उनका मुनाफ़ा बड़ी ब्रांड वाली कम्पनियों जितना नहीं होता। इन फैक्ट्रियों को होने वाले मुनाफ़े का अनुमान टीम को बताए गए इस तथ्य से लगाया जा सकता है — मोडेलेमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड 15 साल पहले तक मायापुरी में एक छोटी सी

कम्पनी थी (ये छोटी कम्पनियाँ बड़े ब्रांड वाली कम्पनियों से सीधा लेन—देन नहीं करती और इन्हें फैक्ट्रिकेटर यूनिट कहा जाता है), जो बड़ी कम्पनियों से आर्डर लिया करती थी। 15 सालों के बाद आज इस कम्पनी की 16 फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें लगभग पाँच से आठ हजार मज़दूर काम करते हैं। अब ये सीधा बड़े ब्रांड वाली कम्पनियों से लेन—देन करती है। ■

5 निष्कर्ष

विकासशील देशों में हो रही दुर्घटनाएं मज़दूरों पर बढ़ते बोझ का नतीजा हैं। अप्रैल 2013 में बांगलादेश में हुआ राना प्लाज़ा हादसा, जिसमें एक इमारत के गिरने से लगभग 1,000 कपड़ा मज़दूरों की मौत हो गई थी, दुनिया के सबसे विनाशकारी औद्योगिक हादसों में से एक है। उद्योग विहार की कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने और रहने के हालात पर नज़र डालने से हमें हमारे खुद के देश में भी वर्तमान और भावी रोज़गार की स्थिति की झलक मिल जाती है। कई मायनों में गारमेंट सेक्टर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इसमें कार्यरत मज़दूर वर्ग के शोषित चेहरे को प्रतिविवित करता है। फरवरी 2015 की घटना महज़ एक छोटा सा उदाहरण है कि इस क्षेत्र में कार्यरत मज़दूरों के साथ किस तरह का सुलूक किया जाता है।

मज़दूरों के जीवन में नौकरी को लेकर असुरक्षा इस बात से ज़ाहिर हो जाती है कि सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी इन्हें कभी भी निकाल—बाहर किया जा सकता है और तालाबंदी की सूरत में बिना किसी मुआवजे के काम छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है। लगभग हर मज़दूर को आमदनी के एक से ज्यादा स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे अपने गाँव से राशन मंगवाना। घर खर्च पूरा ना पड़ने की मजबूरी के कारण उन्हें कई बार अपने परिवार के लोगों को अपने से दूर गाँव में ही रखना पड़ता है।

जो वेतन इन मज़दूरों को दिया जाता है, वह लगातार बढ़ती महंगाई के सामने पूरा नहीं पड़ता। इतनी कम

तनख्वाह के बावजूद वे खुले बाज़ार से रोज़मरा की खरीदारी करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि 20–25 साल दिल्ली में रहने के बाद भी इनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। अगर मकान मालिक अपनी दुकान से खरीदने की शर्त रख दे तो कई बार इन्हें बाज़ार की कीमतों से भी ज्यादा मोल चुकाना पड़ता है। ऊपर से घर फैक्ट्री से निकाले जाने का खतरा इनके सिरों पर रात-दिन मंडराता रहता है।

उत्पादन के कठिन टारगेट और सुरक्षा प्रावधानों के न के बराबर होने के कारण इन मज़दूरों के जीवन में अस्थिरता और असुरक्षा लगातार बनी रहती है। इन सब से महत्वपूर्ण यह है कि इनके पास अपने बच्चों के जीवन को बेहतर

करने के कोई साधन नहीं हैं। जिन मज़दूरों को बीमारी के घट्ट में भी खर्च के लिए रिश्तेदारों या ठेकेदारों से कर्ज़ लेना पड़ता है, वे मुश्किल से ही अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च जुटा पाते हैं।

ऐसी स्थिति में जहाँ साथ मिलकर संघर्ष करना मुमकिन नहीं हो पाता, हताश अक्सर गुरुसे का रूप ले लेती है। फरवरी 2015 की घटना इसी गुरुसे को प्रतिबिंधित करती है। इस तरह की घटनाएं अक्सर भुला दी जाती हैं। लेकिन इन मज़दूरों की असुरक्षित और अस्थिर परिस्थितियों को याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि विकासशील और बढ़ते भारत का सपना इसी सच्चाई में लिप्त है। ■

बॉक्स 2 : ओरियेंट क्राफ्ट में एक और हादसा

उद्योग विहार के गारमेंट सेक्टर में हो रहे हादसों पर जून के महीने में पी.यू.डी.आर. की अंग्रेज़ी रिपोर्ट 'टेलर-मेड लाइफ्स' निकली थी। रिपोर्ट छपने के 20 दिनों के अंदर ही एक और हादसे की खबर आ गई।

20 जून 2015 को हजारों मज़दूर, प्लॉट संख्या 9, सेक्टर 37, गुडगाँव में स्थित ओरियेंट क्राफ्ट लिमिटेड की एक फैक्ट्री के बाहर एकत्रित हो गए। उन्हें 'खबर' मिली थी कि इस फैक्ट्री में कुछ मज़दूर मारे गए हैं। गुरुसे में मज़दूरों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। इसके बाद अखबारों में 'तबाही' की बड़ी-बड़ी खबरें भी छपीं। बाद में पता चला कि फैक्ट्री के फिनिशिंग विभाग में काम करने वाले एक मज़दूर, पवन कुमार, को लिफ्ट का प्रयोग करते समय बिजली के झटके लगे थे और वह बुरी तरह से घायल हो गया था।

23 जून को पी.यू.डी.आर. की दो-सदस्यीय टीम इस घटना की जाँच करने निकली। टीम फैक्ट्री के गेट पर गई, फैक्ट्री गेट के बाहर डर और खौफ का माहौल साफ़ नज़र आ रहा था। मज़दूर हमसे बात करने से हिचकिचा रहे थे। हालांकि वे आपस में फैक्ट्री के अन्दर की बुरी परिस्थितियों के बारे में लगातार बात किये जा रहे थे। बाद में, टीम सनराइज़ अस्पताल भी गई, जहाँ घायल मज़दूर को ले जाया गया था। हमें बताया गया कि कम से कम तीन मज़दूरों की मौत हुई हैं। कुछ लोगों का मानना था कि वे केवल घायल हुए हैं और कुछ ने कहा कि लाशों को गटर में फेंकने से बचा लिया गया था। उनका मानना था कि मैनेजमेंट कुछ भी कर सकती है। अस्पताल में दो मज़दूर भर्ती थे। अस्पताल के मालिक डॉ. गौरव मेहता (जिन्होंने मज़दूरों का इलाज भी किया था) का कहना था कि बिजली का झटका लगना तो आम बात है और किसी को भी लग सकता है। उनके अनुसार मज़दूरों द्वारा किये गए दंगे अनुचित थे।

गौर करने की बात है कि ओरियेंट क्राफ्ट की इसी फैक्ट्री में 2012 में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी। उस समय कंपनी के ठेकेदार ने एक मज़दूर पर हमला किया था। इसके बाद लगभग दो हजार मज़दूर सड़कों पर उत्तर आये थे। उन्होंने पुलिसवालों पर पत्थरबाजी की और कुछ गाड़ियाँ भी जला दी थीं। जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है, ये हादसे मज़दूरों के तनावपूर्ण हालातों की ओर संकेत करते हैं। चूंकि इस तरह के हादसे और हमले आम हो चुके हैं, इसलिए जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो तमाम किस्म की अफवाहें फैलने लगती हैं। मज़दूर अपने काम को लेकर वैसे ही इतना असुरक्षित महसूस करते हैं कि किसी भी अफवाह को सच मानने में उन्हें देर नहीं लगती। मज़दूरों के इस व्यवहार को समझने के लिए यह भी जानना होगा कि इस इलाके में मज़दूरों की न तो कोई यूनियन है और न कोई संगठन। मज़दूरों के पास मैनेजमेंट या सरकार के सामने अपनी माँगें रखने का कोई ज़रिया नहीं है। ऐसे में जब भी कोई हादसा या घटना होती है, तो उनमें पनपती निराशा और गुरुसा इस प्रकार के रूप में फूटता है।

तालिका 4 : हरियाणा में न्यूनतम मासिक वेतन और मजदूरी (जनवरी 2014 से मई 2015) (रुपये में)

	जनवरी – जून 2014	जुलाई – दिसंबर 2014	जनवरी – मई 2015	
श्रेणी	मासिक वेतन	दैनिक मजदूरी	मासिक वेतन	दैनिक मजदूरी
अकुशल	5,547.10	213.35	5,639.50	216.90
अर्धकुशल (ए)	5,677.10	218.35	5,769.50	221.90
अर्धकुशल (बी)	5,807.10	223.35	5,899.50	226.90
कुशल (ए)	5,937.10	228.35	6,029.50	231.90
कुशल (बी)	6,067.10	233.35	6,159.50	236.90
अति कुशल	6,197.10	238.35	6,289.50	241.90

स्रोत: <http://ehrylabour.gov.in>

तालिका 5 : हरियाणा, दिल्ली और एन.सी.आर. में तुलनात्मक न्यूनतम मासिक वेतन और मजदूरी (1 अप्रैल 2015 को, रुपये में)

	हरियाणा (1 अप्रैल 2015 को)	दिल्ली (1 अप्रैल 2015 को)		
श्रेणी	मासिक वेतन	दैनिक मजदूरी	मासिक वेतन	दैनिक मजदूरी
अकुशल	5,812.75	223.56	9,048.00	348
अर्धकुशल (ए)	5,942.75	228.56	10,010.00	385
अर्धकुशल (बी)	6,072.75	233.56		
कुशल (ए)	6,202.75	238.56	10,998.00	423
कुशल (बी)	6,332.75	243.56		
अति कुशल	6,462.75	248.56	—	—

*ये दरें 'दुकानों और प्रतिष्ठानों' व 'कलबौं' के अलावा सभी अनुसूचित रोजगारों के लिए अकुशल, अर्ध कुशल और कुशल श्रेणियों के मजदूरों के लिए लागू होती हैं।

स्रोत: http://www.delhi.gov.in?newps?ewcm?econnect?doit_labour?Labour?Home?Minimum+Wages?

मज़दूरों के मुद्दों पर पी.यू.डी.आर. की अन्य रिपोर्ट

- June 2013 शोषण का पहिया : मारुति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड में मज़दूर संघर्ष और अधिकारों का हनन
May 2013 Driving Force: Labour Struggle and Violation of Rights in Maruti Suzuki India Ltd.
Nov 2012 Working Against Odds: Conditions of Workers in the Cement Industry in Chhattisgarh
May 2012 कड़वे बादाम : दिल्ली की बादाम इकाइयों में मज़दूरों का शोषण
April 2012 Bitter Aftertaste: Exploitation of Workers in Almond Enterprises in Delhi
Aug 2011 बेमानी ज़िंदगियाँ : एक औद्योगिक दुर्घटना और उसके बाद के घटनाक्रम
Aug 2011 Shocking Callousness and Neglect: A report on Industrial Accident and its Aftermath
Jan 2011 खेल खत्म पैसा हजम : राष्ट्रमंडल खेलों के निर्माण कार्य में मज़दूरों के शोषण पर एक रिपोर्ट
April 2009 In the Name of National Pride: Blatant Violation of Workers Rights at the Commonwealth Games sites
2009 In the name of 'Rescue': Report on the Arrest of 75 Sex Workers in Delhi in Jan 2008
Sept 2008 Judicial Assault on Workers Rights
Aug 2007 Freewheelin' Capital: Illegal Dismissals, Forced 'Voluntary' Retirement and Contractualisation of Workforce at Maruti Udyog Limited
June 2007 Fettered Lives: Contract Labour at Jawahar Lal Nehru University
Nov 2004 चमड़ा वस्त्र और कारीगरों की ज़िंदगी : दिल्ली की कहानी
Oct 2004 Behind the Label: Condition of Leather Garment Workers in Delhi
July 2001 Hard Drive: Working Conditions at Maruti Udyog Ltd.
Oct 1999 Workers Death & Working Lives: Accident at Virgo Washing Co., Okhla Industrial Estate
June 1999 Packaging Injustice: The Story of Flex Workers
May 1998 Hand in Glove: Workers' Demands and Police Firing at Dharuhera
Oct 1997 The Company They Keep: A Report on Workers of Jhilani Tools Ltd. Faridabad
May 1997 Resources of Hope: Workers Struggles in Fashion Team
Feb 1997 Voices of Protest: Workers' Struggle at Wazirpur
Sept 1996 The Other Side of Success Story: Work Conditions, Accidents and Workers Rights at Hindalco
Oct 1991 Reunsagar: A Report on Workers Struggle
June 1991 Tall Chimneys and Dark Shadows: A Report on the Lives and Struggles of Workers in Bhilai
June 1990 Appu Ghar
Oct 1982 The Other Face of Asiad 82

क्या मैं अब भी कसूरवार नहीं हूँ?

(बेर्निस जॉनसन रीगन ने 1985 में इस गीत के बोल लिखे और संगीतबद्ध किया था।
स्वीट हनी इन द रॉक नाम के एक बैंड ने पहली बार इसे मच पर गाया।)

जो पोशाक मैं पहनती हूँ
वह दुनिया भर के इंसानी हाथों की छुअन का एहसास लिए
मुझ तक पहुँचती है
पेटीस फीसदी सूत, पैसठ फीसदी पोलिएस्टर

इस सफर की शुरुआत मध्य अमरीका से होती है
एल साल्वाडोर के कपास के खेतों में
खून से सने एक प्रांत में कहीं
जहाँ जहरीली दवाओं का छिड़कान किए हुए पौधों से
कोई मज़दूर औरत दो डॉलर की खातिर
चिलचिलाती धूप में कपास चुन रही होती है

फिर हम एक अगले पड़ाव पर पहुँचते हैं

कारगिल

फसलों का कारोबार करने वाली
दुनिया की नामी-गिरामी कंपनी
कपास को पनामा नहर और ईस्टर्न सीबोर्ड से ढोते हुए
अमरीका में पहले कदम रखवाती है

साउथ कैरोलिना की बर्लिंगटन मिलों में
उस कपास की पहली मुलाकात
झूपॉट की न्यू जर्सी स्थित पेट्रोकेमिकल मिल्स से आए
पोलिएस्टर के रेशों से होती है
झूपॉट के इन रेशों की कहानी
दक्षिण अमरीका के एक देश
वेनेजुएला से शुरू हुई थी
जहाँ तेल निकालने के काम में लगे मज़दूर
महज छः डॉलर के मेहनताने पर
खतरों से खेलते हुए धरती के गर्भ से तेल निकालते हैं

फिर एक्सान नामक
दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी
त्रिनिदाद और टोबागो नाम के देश में
उस कच्चे तेल को पोलिएस्टर में लगने वाले पेट्रोलियम में
ढालती है
अब एक बार फिर उसे झूपॉट के कारखानों के लिए

कैरेबियाई और अटलांटिक महासागरों की तरफ रवाना कर
दिया जाता है
साउथ कैरोलिना की बर्लिंगटन मिल्स में
एल साल्वाडोर के खून से लथपथ खेतों में उपजे कपास से
मिलने के लिए

साउथ कैरोलिना में
बर्लिंगटन के कारखानों में कर्कश शौर गूँजने लगता है
मशीनें मीलों लम्बे कपड़े के थान उगलने लगती हैं
सीअर्स कंपनी का मालिक अब अपने इनाम को लेकर
दोबारा कैरेबियाई समंदर का रुख करता है
इस बार उसकी मिजिल है हैती

गुलामी की ज़ंजीरों से आजाद होने के लिए छटपटाता एक
देश!

उधर राजधानी
पोर्ट औं प्रिंस के महल से बहुत दूर
तीसरी दुनिया की औरतें
सीअर्स कंपनी के निर्देश पर
नए-नए डिज़ाइन और फैशन के कपड़े सीने के लिए
रोज़ाना तीन डॉलर की दिहाड़ी के लालच में खटने लगती हैं

तैयारशुदा ब्लाउज अब आखिरी बार तीसरी दुनिया को अलविदा
कह प्लास्टिक में लिपट कर
मेरे जिस्म पर सजने के लिए समंदर में रवाना होता है

और तीसरी दुनिया की मेरी यह बहन
अपने जिस्म पर अंधेरे की चादर लपेटे
सूने आसमान में ना जाने क्या तकने लगती है

और मैं पहुँच जाती हूँ सीअर्स के शोरूम में
जहाँ मैं अपना ब्लाउज खरीदती हूँ
बीस परसेंट डिस्काउंट पर

क्या मैं अब भी यकीन से कह सकती हूँ कि मैं कसूरवार नहीं
हूँ?

प्रकाशक – सचिव, पीपल्स यूनियन फॉर डैमोक्रैटिक राइट्स (पी.यू.डी.आर.)

मुद्रक – प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, डिल्ली इंडस्ट्रियल एरिया, जी.टी. करनाल रोड, शाहदरा, दिल्ली – 110095

सहयोग राशि – 5 रुपये

ईमेल – pudr@pudr.org, pudr@pudr.org

वेबसाइट – www.pudr.org